



कार्यालय कलेक्टर, जिला बरतार एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-: प्रारंभिक अधिसूचना:-

क्रमांक क/भू-अर्जन/ 01/अ-82/2021-22

जगदलपुर, दिनांक 27 अप्रैल-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

-अनुसूची-

जिला	तहसील	भूमि का प्रकार			प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		ग्राम / पओहोना	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बरतार	जगदलपुर	करकरपाल / 33	161 मे.से 162 मेसे 164 मेसे 168 मेसे	0-01 0-05 0-06 0-07	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सभाग जगदलपुर।	करकापाल-पोडागुडा मार्ग के कि०मी० 2/2 गोरियाबहार नाला पर सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माण
योग :-			4	0.19		

- यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई भी हितवद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/भू-अर्जन अधिकारी को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा०)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण सभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी(रा०), जगदलपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(रजत बंसल)

कलेक्टर,

जिला बरतार

एवं पदेन उप सचिव, छ०ग०शासन, राजस्व विभाग